संख्या : — /जी0एस0(शिक्षा)/A3-74(3)/2020

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालयः उत्तराखण्ड देहरादूनः दिनांकः 13 सितम्बर, 2021

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्याः 312 के0यू0/मान्यता/2019–20 दिनांक 31 मई, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज, कोर्ट रोड़, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर को एम0–एससी0 इन फैशन डिजाइनिंग पाठ्यक्रम में 30 सीटों के साथ शैक्षिक सत्र 2019–20 से 2020–21 तक की अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण कां प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या, कुलपति की संस्तुति एवं कुलसचिव द्वारा उपलब्ध करायी गई आख्या के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थायी सम्बद्धता के सम्बन्ध में मा0 कुलाधिपति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान की गई है :–

क्र0	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थायी सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
I.	ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज, कोर्ट रोड़, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर।	एम0–एससी0 (फैशन डिजाइनिंग)	30 सीट	सत्र 2019–20

1– निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करे व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदया के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

2– उक्त संस्थान में अध्ययनरत् छात्रों के हितों को दृष्टिगत् एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर मा0 कुलाधिपति द्वारा सम्बद्धता प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है किन्तु विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद्, अपनी आवश्यकता व विश्वसनीयता के दृष्टिगत् छात्रहित में यू0जी0सी0/नियामक संस्था तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए ही सम्बद्धता प्रदान किये जाने पर निर्णय लेगी, ताकि अध्ययनरत् छात्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े साथ ही सम्बद्धता पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगे।

3– विश्वविद्यालय उक्त संस्थान की सोसायटी रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से इस सचिवालय को उपलब्ध करायेगा।

4– आगामी सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 1593 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A3-74(3)/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य, सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
कुलाधिपति के अपर सचिव।